could not hear. If anybody has anything to say, you could take my permission and I will permit if it is a serious matter. I will permit everyone. But if all of you speak at the same time, we are not going to gain anything out of that.

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश): महोदया, ... (व्यवधान) ...

उपसभापति : मैं आपको बोल रही हूं आप मेरी बात भी सुन रही हैं मैं जो बोल रही हूं वह तो सुनिए अभी आप चुप हो जाइए । ... (व्यवधान) ...

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Madam, I am on a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes. What is the point of order? (*Interruptions*). Smt. Satya Bahin, please take your seat. I have identified him for a point of irder. (*Interruptions*). Smt. Satya Bahin, please, for heaven's sake, keep quiet.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam Deputy Chairman, while I welcome the authentic clarification given by the Home Minister, I want to bring to your notice that many allegations have been levelled by Members from both sides, against one another which you may not have heard, which the Press may not have heard or may have heard. I therefore request you to see that all these allegations are put off the record.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You leave it to me. (*Interruptions*). Order.

DEMAND FOR DEPLOYMENT OF SPG FOR PROTECTION OF RAJIV GANDHI

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): मैडम मैं बडे गंभीर मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एस.पी..जी.का निर्माण सन् 1986 में गृह राज्य मंत्री श्री पी.चिदंबरम ने प्रधान मंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए किया था । राजीव गांधी के निधन के बाद उनके परिवार, उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी और उनके बच्चों का जीवन राजीव गांधी के बाद जितने भी प्रधान हुए हैं, उनसे अधिक मूल्यवान है और सारी दुनिया की टैरोरिस्ट ताकतें राजीव गांधी की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और पुत्री प्रियका को इस धरती से उठा लेना चाहती है जब कि आज हमारी सरकार है और वह सरकार सोनिया गांधी की इच्छा, कृपा पर काम कर रही है । मुझे बडे दुख के साथ, बड़ी चिन्ता के साथ बड़ी व्यथा के साथ देश के 85 करोड नागरिकों की भावनाओं को इस सदन में प्रकट करना पड रहा है कि तत्काल श्रीमती सोनिया गांधी और उनके परिवार के लोगो को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप दिया जाए और इस के लिए यदि 1986 के ऐक्ट में कोई संशोधन करना हो तो गृह मंत्री और सदन के नेता से मैं कहना चाहूंगा कि वह इस सदन को आश्वासन दें कि किस तारीख तक एस.पी.जी. ऐक्ट 1986 में हम अमेंडमेंट करके श्रीमती सोनिया गांधी को एस.पी.जी. का प्रोटेक्शन देंगे ताकि महिला जिसने राजीव गांधी की चिता की छाया में अपने तेजस्वी व्यक्तित्व से सारी दुनिया को आकृष्ट किया है, उसकी और उसके परिवार की रक्षा हो सके । अन्यथा यह माना जायगा कि राजीव गांधी के बलिदान पर बनी हुई यह कांग्रेस सरकार असमर्थ है और निकम्मी है । मैं इस संबंध में गृह मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा ।

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra): I support the demand of Dr. Ratnakar Pandey.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The whole House associates with the protection of Rajiv Gandhi's family. Now, let the Home Minister speak.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): Madam, I am in full agreement with what my hon. friend has said and I can assure the entire nation, through

[Shri S. B. Chavan]

you, Madam, that we are giving them all the protection even without the amendment of the Act. Different people are trained for Special Protection Force. They are being sent outside. Those people have been called back and people in whom they have full faith, will be given there and there will be no cause for any anxiety whatsoever. (*Interruptions*).

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) यह बहुत ही गम्भीर मामला है, इस पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया (बिहार) : महोदया, हमारी मांग है कि एस.पी.जी. कानून में एमेंडमेंट लाया जाये। हमारी मांग यह नहीं है कि एस.पी.जी. में जो लोग काम कर रहे थे या काम करते हैं उनको लगाया जाय। आप जानते हैं कि इंटेलीजेन्स सर्विसेज की सारी इंफारमेशन हर्फक केट को और एन.एस.जी० को नहीं दी जाती है। एस.पी.जी. की अपनी इंफारमेशन होती है। हमारी मांग है कि श्रीमती सोनिया गांधी और उनके परिवार के सदस्यों को एस.पी.जी. की प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। उनके लिए एस.पी.जी. एक्ट में एमेन्डमेंट करने की जरूरत हो तो भरपूर समर्थन हम लोगों की तरफ से मिलेगा। मैं गृह मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि हमने प्राइवेट मेम्बर बिल के मूव के लिए पहल की है। अगर ऐसा एमेन्डमेंट नहीं लाया गया तो सारे सदस्य प्राइवेट मेम्बर बिल के थ्रू सरकार को फोर्स करेंगे कि ऐसा बिल लाया जाय।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी बतायें कि एस.पी.जी. एक्ट में एमेन्डमेंट कब तक लाया जा रहा है ताकि विधिवत कानून के अन्तर्गत श्रीमती सोनिया गांधी और उनके परिवार को एस.पी.जी. की सुरक्षा दी जा सके। अभी तक केवल प्रधान मंत्री के लिए यह एक्ट है। इस लिए इस एक्ट में एमेंडमेंट करना होगा। गृह मंत्री हमें बतायें कि किस तारीख को इस सत्र में यह एमेंडमेंट लाया जा रहा है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सारा सदन इस मामले में एक मत है।

श्री सैयद शिब्ते रजी (उत्तर प्रदेश) : महोदया, श्री राजीव गांधी की हत्या के पहले भी यह मामला उठा था। उस वक्त की सरकार के प्रधान मंत्री श्री वी०पी० सिंह ने कहा था कि श्री राजीव गांधी को मुकम्मल सुरक्षा दी गई है और उनकी रक्षा के लिए इतने करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। एस. पी. जी. इसलिए प्रावाइड नहीं की जा सकती क्योंकि एक्ट ऐसा बना हुआ है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा कि अपने पसन्द के आदमी ले सकते हैं। लेकिन यहां सवाल पसन्द और नापसन्द का नहीं है। हिट लिस्ट पर जिसका नाम है, जिनकी जान को खतरा है, अगर कोई मिसहेपनिंग हो जाती है तो उस ग्रुप पर जिम्मेदारी आती है या नहीं आती है? इसलिए इस एक्ट में तुरन्त संशोधन होना चाहिए। हिट लिस्ट का तज़करा एल.टी.टी.ई. के स्टेटमेंट में आ चुका है जिसमें श्री चन्द्रशेखर और दूसरे लोग हैं। श्री राममूर्ति हैं और जयललिता जी भी हैं। इन सब को एक्ट में एमेंडमेंट करके एस. पी. जी. की प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। सबसे बड़ा खतरा श्रीमती सोनिया गांधी को बना हुआ है। यह देश जानता है, सारी दुनिया जानती है, इस परिवार को एक एक करके खत्म किया जा रहा है। श्रीमती इन्दिरा गांधी को खत्म किया गया, श्री राजीव गांधी को खत्म किया गया और अब सारे देश की आशा जिस व्यक्ति पर लगी हुई हैं उनको और उनके परिवार को खत्म करने का षडयंत्र किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें केवल एल.टी.टी.ई. के मामले पर संतोष नहीं करना चाहिए कि एल.टी.टी.ई. ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। यह एक बहुत बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय कांस्पीरेसी है। एल०टी.टी.ई. के कहने पर हमें संतोष नहीं कर लेना चाहिए। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें कई

नाम आये हैं। आप जानते हैं कि यासर अराफत ने सत्ता में बैठे हुए प्रधान मंत्री को सूचित किया था कि श्री राजीव गांधी की जान को खतरा है। लेकिन उनकी जान को पूरी सुरक्षा नहीं दी गई। यह बड़ा संवेदनशील विषय है। इस विषय को लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। हमें इस बात से संतोष नहीं होगा चाहे आप श्रीमती सोनिया गांधी के चारों तरफ फौज भी क्यों न लगा दें। उनको एस.पी.जी. एक्सपर्टीज की जरूरत है। इसलिए तुरन्त इस सदन के अन्दर एमेंडमेंट आना चाहिए और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए।

SHRI SURESH KALMADI: Madam, we want an assurance from the Home Minister that the amendment will be brought during this Session itself. We want an assurance from him.

SHRI S. B. CHAVAN: Madam, I cannot possibly offhand react to the request made by most of the hon. Members, but I will definitely convey the feelings of the House to my Cabinet colleagues. And it is the Cabinet which will have to decide as to whether an amendment to the Act is necessary and when it should be done. These are two matters which will be decided. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sibtey Razi, please sit down. Don't interrupt. Don't interrupt the Leader of the House. Let him finish.

SHRI S. B. CHAVAN: In fact, we are very keen that all the protection necessary has to be provided. There can be no two opinions about it, but at the same time if we are to amend the Act, as the hon. Member has said, there are a number of people who say that there is a threat perception to their life also. Whether this can be extended to everybody ..

डा० रत्नाकर पाण्डेय : सोनिया जी से उनकी कैसे तुलना हो सकती है ?

श्री एस०बी० चव्हाण : आप सुनिये, आप जो कुछ कह रहे है आपसे ज्यादा फिक्र मुझे है। भगवान (व्यवधान) हम पुलिस का भी (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय सोनिया जी की कृपा पर यह सरकार चल रही है, उनकी इच्छा पर चल रही है। आप इस बारे में कब अमेंडमेंट लायेंगे, यह सदन को सूचित करिये।

श्री एस०बी० चव्हाण अमेंडमेंट के बारे में इससे ज्यादा मैं अभी नहीं कह सकता।

उपसभापति : शंकर दयाल सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिये।

REFERENCE TO FALSE NEWS-PAPERS REPORT OF THE DEMISE OF SHRI SHANKAR DEYAL SINGH, MEMBER, RAJYA SABHA

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : महोदया, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज के अखबारों में एक समाचार निकला है, जिसका हेडिंग है कि शंकर दयाल सिंह नहीं रहे। मैडम, यह बात सदन में हंसने की हो सकती है लेकिन आज सवेरे से पचासों टेलीफोन मेरे घर पर संवेदना के आये हैं और लोगों ने जानना चाहा है कि मैं हूं या नहीं हूं। महोदया, मैं बड़े ही आदर के साथ कहना चाहता हूं कि केवल इतना ही नहीं, बल्कि राज्य सभा के भी एक माननीय अधिकारी ने हमारे यहां फोन करके जानना चाहा कि क्या यह समाचार सही है और राज्य सभा आज चले या न चले। महोदया, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इतना ही नहीं आज जब हमारे यहां बार-बार फोन आ रहे हैं तो घर से मेरी पत्नी ने दो बार मुझे यहां फोन किया कि मैं हूं या नहीं हूं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a minutes. Let him speak.